न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 148/2022–23

3.03

–:आदेश:–

23.03.2023 अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर के पत्रांक– 398, दिनांक– 11.03.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि 1. अरूण रविदास, पिता– स्व0 जगदीश रविदास, 2. घुरन रविदास, पिता– स्व0 लुखु रविदास, 3. हाराधन रविदास, पिता– स्व0 कालोराम रविदास, सभी साकिम– खिलकनाली, पो0– भितिया, थाना– गोविन्दपुर, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– खिलकनाली, मौजा नं0– 132, पुराना खाता नं0– 36, पुराना प्लॉट सं0– 134, 135, 136, नया खाता सं0– 46, नया प्लॉट सं0– 511, रकवा– 09 डिसमील भूमि क्रेता प्रेम प्रियदर्शी (नाबालिक), अभिभावक–सह–पिता– दिलीप कुमार दास, साकिम– खिलकनाली, पो0– भितिया, थाना– गोविन्दपुर, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के मोची है तथा दोनो एक ही थाना– गोविन्दपुर, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 1.09 एकड़ शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

23/3/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

23/3/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 12:02:10 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner